कार्यालय कलेक्टर,जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन,राजस्व विभाग

क्रमांक / 62 / भू–अर्जन / 20 **खरगोन,दिनांक 8 / 03 / 2020**

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क विभाग,
म.प्र.भोपाल।

विषय :– सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की अधिसूचना का प्रकाशन।

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–14 ठीकरी,जिला बड़वानी की **" नागलवाडी माईको उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक–4 के निर्माण हेतु" तहसील सेगांव के ग्राम बढ़ा की निजी भूमि क्षेत्रफल 1.118 हेक्टेयर** को **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट** प्रदान के संबंध में जारी **अधिसूचना की 04 प्रतियॉ** इस पत्र के संलग्न है।

अतः कृपया संलग्न अधिसूचना को **02 दैनिक समाचार पत्रो** में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

संलग्नः–04 प्रतियॉ

(गोपाल चन्द्र डाड) 8/3/2020
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / 63 / भू–अर्जन / 20 खरगोन,दिनांक 8 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,जिला सूचना विज्ञान केन्द्र,कलेक्टोरेट खरगोन की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
2. भू अर्जन अधिकारी,इंदिरा सागर परियोजना, (नहरे) खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सेगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय / तहसील / जनपद पंचायत कार्यालय,संबंधित ग्राम / ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावे।
4. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–14 ठीकरी,जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ।
5. माल जमादार,कलेक्टोरेट,खरगोन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

\

कार्यालय, कलेक्टर जिला खरगोन, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,राज

क्रमांक / 58 / भू–अर्जन / 2020 खरगोन,दिनांक 8 / 03 / 2020

:: अधिसूचना ::

कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–14 ठीकरी,जिला बड़वानी के व्दारा उनके पत्र क्रमांक 1977 / कार्य / भू.अ. / ना.उ.सि.यो. / 2019, दिनांक 12.12.2019 से **" तहसील सेगांव की नागलवाडी माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक–4 के निर्माण हेतु"** अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक–30 सन् 2013) के अध्याय–2 (अ) की धारा–4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं **गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर, जिला–खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग**, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9 / 2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय–2(अ) की धारा–4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ–

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0नं0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	सेगांव	बढ़ा	01	1.118	**" नागलवाडी माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक–4 के निर्माण हेतु"**

नोटः–

1– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2– उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे)खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–14 ठीकरी,जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/3/2020

(गोपाल चन्द्र डाड)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र शासन,राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)